न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / टी0ए0 / 5166 / 2005 / भीलवाडा

फूॅदा पुत्र गीला जाति मीणा निवासी काला भाटा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा —अपीलान्ट

बनाम

1—(फौत)रामनारायण पुत्र पेमा जाति मीणा निवासी काला भाटा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा (विधिक उत्तराधिकारीगण)
1 / 1— हगामी बेवा रामनारायण
1 / 2—अम्बा लाल पुत्र रामनारायण
1 / 3—सलोचना पुत्री रामनारायण
1 / 4—फुला पुत्री रामनारायण समस्त जाति मीणा निवासी काला भाटा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
1 / 5—फोफ सिंह पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी मोहनपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
वादी / रैस्पोडेंट
2— प्रेमा पुत्र फूॅदालाल जाति मीणा निवासी काला भाटा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा ———रेस्पोडेंट

उपस्थितः—
श्री मदनलाल गुर्जर अधिवक्ता अपीलांट
श्री जगदम्बा माथुर अधिवक्ता रेस्पोडेंट

श्री सूरज भान जैमन, सदस्य
श्री इन्द्र सिंह राव, सदस्य

निर्णय दिनांक

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के निर्णय दिनांक 6—9—2005(अपील संख्या156 / 04) के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2— अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट वादी संख्या एक ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 92 ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर के समक्ष इन कथनों के साथ पेश किया

कि ग्राम केशवबिलास तहसील जहापुर जिला भीलवाडा में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 34 रकबा 1 बहीघा 17 बिस्वा, 35 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 36 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की है एवं आराजी खसरा नम्बर 33 मिन रकबा 15 बिस्वा सरकार बिलानाम तथा आराजी खसरा नम्बर 37 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा स्थित है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी दखलन्दाजी कर रहे है। वादी – प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा दखल करने पर पाबन्द करानेका अधिकारी है। दावा पेश होने पर प्रतिवादीगण ने जबाव पेश कर वादी द्वारा दावे में उठाये गये सभी तथ्यों ,कथनों को अस्वीकार किया तथा काउन्टर क्लेम पेश कर बताया कि ग्राम केशवबिलास की आराजी खसरा नम्बर 34 व 35 ,36 वादी के खाते में होना स्वीकार है किन्तु खसरा 36 पर वादी का कब्जा नही होकर प्रतिवादीगण का कब्जा है। वादी ने खसरा नम्बर 36 का पंजीयन गलत रुप से किसी अन्य व्यक्ति को खडा करके अपने नाम करावा लिया है। । आराजी खसरा नंबर 33 मिन बिलानाम सरकारी भूमि है तथा खसरा नंबर 37 का प्रतिवादी खातेदार है व खसरा 36व 37 का उपयोग उपभोग प्रतिवीदगण ही करते आ रहे हैं। अन्त में आराजी खसरा नंबर 36 के वादी के नाम अंकन को खारिज कर प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज करने का निवेदन कर उक्त आशय की डिक्री प्रतिवादीगण के पक्ष में जारी करने का निवेदन किया।

3– वादी ने का उन्टरक्लेम का जबावबुलजवाब पेश कर काउन्टर क्लेम खारिज करने की प्रार्थना की। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादी के अभिकथनों के आधार पर कुल 5 तनकी कायम की। वादी के वकील द्वारा पैरवी से इन्कार किये जाने पर वादी का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया तदोपरान्त वादी की ओर से अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष दावा के अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने पर उनकी ओर से एक प्रार्थनापत्र आदेश 9नियम दिनांक 19–4–04 को पेश कर निवेदन किया कि वादी को सूचना दिये बिना ही वादी के वकील ने दावे को नोटप्रेश किया था। प्रतिवादीगण का यह दायित्व था कि वह वादी को इसकी सूचना देते परन्तु मेरे को बिना सूचना दिये हुए ही दावे को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर काउंनटरक्लेम हेतु शहादत पेश कर बहस की जा`कि नियम विरुद्ध है। अतः दावा को पुनः नम्बर पर लिया जाकर वादी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावे। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को बिना दर्ज रजिस्टर किये अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 19–4–04 के द्वारा प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम विरुद्ध वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को आराजी खसरा नंबर 36 का खातेदार काश्तकार घोाषित कर दिया तथा वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 9 को खारिज कर दिया। जिसके फलस्वरुप अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–4–04 के विरुद्ध वादी/अपीलांट द्वारा एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत की।

रेस्पोडेंट संख्या एक ने उपखण्ड अधिकारी जतहाजपुर के निर्णय वडिक्री दिनांक 19–4–2004 व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9नियम 9 सीपीसी पर पारित आदेश दिनांक 19–4–2004 के विरुद्ध एक ही अपील राजस्व अपील प्राधिकारी

भीलवाडा के समक्ष पेश की।विद्वान अपील अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 6–9–05 के द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–4–04 को निरस्त कर वादी की ओर से प्रस्तुत आर्डर 9 रुल 9के सम्बन्ध में पारित आदेश को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण अधीनस्थ परीक्षण न्यायपालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया कि अपीलांट/वादी के आर्डर 9 नियम9 के प्रार्थनापत्र पर रेस्पोडेंट/प्रतिवादी से जबाव लिया जाकर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदार किये जाने के बाद ही रेस्पोडेंट/प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम पर अन्तिम निर्णय पारित किया जावे। चूकि राजस्व अपील अधिकारी ने अपने आदेश 9नियम9 के प्रार्थनाापत्र पर पारित आदेश दिनांक 19–4–2004 को भी रेस्पोडे।ट संख्याएक द्वारा एक ही अपील में चुनोति दिये जाने से उसे निरस्त कियागयाहै जिससे व्यथित होकर अपील दूसरी ि्तीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

4– अपील में उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

5– विद्वान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क यह है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा दो निर्णयों के विरुद्ध रेस्पोडेंट संख्या एक की ओर से अपीलीय न्यायालय के समक्ष केवल एक अपील पेश की गयी है जो संधारण योग्य नहीं थी क्योकि परीक्षण न्यायालय ने अपनेनिर्णय दिनांक 19–4–04 द्वारा रेस्पेडेंट संख्या एक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9नियम 9 सीपीसी को म्यादबाहर मानकर खारिजकिया था तथा दिनांक 19–4–04 को ही प्रतिवादी/अपीलांट का काउन्टरक्लेम स्वीकार कर डिक्री जारीकी थी। इस प्रकार वादमें प्रस्तुत प्रार्थनापत्रके आदेश व काउन्प्टरक्लेम के निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध एक अपील संधारण योगय नही होते हुए भी वादी/रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार करनेमें कानूनी त्रुटि की है। उनका यह भी तर्क हैकि विद्वान परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादी की ओर जो प्रार्थनापत्र आदेश 9नियम 9 सीपीसी पेश किया गया है वह मियाद बाहर पेश किया गया है। लेकिन विद्वान अपीलीय न्यायालय ने मियाद के बिन्दु को बिना निर्णित किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मात्र कयास के आधार पर पारित किया है। उनका यह भी तर्क है कि विद्वान अपील अधिकारी ने इस कानूनी बिन्दु पर ध्यान नही दिया है कि परीक्षण न्यायालय के काउन्टर क्लेम वाद निर्णित करने की प्रक्रिया को अपनाते हुये निर्णित किया था तथा परीक्षण न्यायालय को वादी के वाद को अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किये जाने के बाद निर्णित करने का अधिकार था। ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय द्वारा विधिवत काउन्टर क्लेम को डिक्री किये जाने के बावजूद भी परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को खारिज कर कानूनी त्रुटि की है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने एक ही अपील द्वारा परीक्षण न्यायालय के दो आदेशों को निरस्त किया है। ऐसी स्थिति में आदेश आदेश 9नियम 9 के प्रार्थनात्र की अपील में पारित निर्णय के विरुद्ध यह द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। अन्त में निवेदनकियाकि राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा का ानिर्णय दिनांक 6–9–05 को सनिरस्त कर

उपखण्ड अधिकारी जहापुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19–4–2004 को यथावत रखा जावे।

6– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रैस्पोडेंट की ओर से अपीलाधीन निर्णय को उचित व कानून सम्मत बताते हुए तर्क दिया कि ....
.

7– उभय पक्षकारारान के विद्वान अभिभाषकगण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

8– पत्रावी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में वादी के वकील की ओर से दावे में नोटप्रेस करने पर दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया है।वादी को इसकी जानकारी होने पर दावा को पुनः रेस्टेार करने के लिए रेस्पोडेंट वादी रामनारायण की ओर से प्रार्थनापत्र आदेश 9नियम 9 सीपीसी दिनांक 14–4–04 को पेश किया है जो विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अलग से दर्ज रजिस्टर नही किया गया है और अपने आक्षेपति आदेश 19–4–04 के द्वारा प्रतिवादी के प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकार कर व प्रतिवादी के पक्ष में दावा डिक्री कर वादी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र भी साथ ही खारिज किया गया है, उक्त आदेश डिक्री की तारीफ में नही अता है। इसलिए अपीलांट प्रतिवादी फूंदालाल द्वारा जो अपील मीमों में की गयी प्रार्थना कि इस निगरानीमाना जाकर निर्णय पारित किया जावे ,पर विचार किये जाने पर यह स्पष्ट हेता है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वादी रामनारायण के प्रार्थनापत्र दिनांक 13–4–04 (वाजदायरी) का अलग से दर्ज रजिस्टर नही किया गया तथा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र पर जबाव पेश करने का मौका भी नही दिया गया ,बल्कि सरसरी तौर पर यह अंकित कर कि प्रार्थनापत्र वादी ने एक वर्ष बाद देरी से प्रस्तुत किया है जो मियाद बाहर है, खारिज कर दिया । उक्त प्रार्थनापत्र को खारिज करने का कोई समुचित कारण भी अंकित नही किया है और यह कह कर कि इस स्तर पर प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने का कोई औचित्य नही है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है, निस्तारित किया है जो कि न केवल दूषित प्रक्रिया का प्रदर्शन है बल्कि विद्वान अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय की पूर्वग्रह पूर्ण सोच का प्रतीक है क्योकि दिनांक 13–4–04 के प्रार्थनापत्र में वादी /रेस्पोडेंट फूंदा की तत्कालीन एक्सीडेंट की परिस्थितियों का व उसकी वकील एवं अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा एवं प्रतिवादी द्वारा उसे नोटप्रेस बावत सूचित नही किये जाने का उल्लेख किया है एवं शपथपत्र भी प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी की ओर से इस प्रार्थनापत्र का प्रतिवादी नही करने पर भी यह प्रार्थनापत्र खारिज किया जाना तथा 1–दिनांक 9–6–03, 17–6–03, 13–8–03, 14–10–03,10–12–03 व 9–2–04 अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं में वादी के वकील की उपस्थिति का उल्लेख पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाना (ii) दिनांक 21–4–2003 को वादी के वकील की ओर से नोटप्रेस में वादी का दावा खारिज करने के बाद दिनांक 30–4–2003 वकील वादी की उपस्थिति अंकित

करना एवं प्रतिवादी के वकील तथा प्रतिवादी के गवाह डीडब्ल्यू 1 फून्दालाल तथा 2 देवीलाल के बयान जो की अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर अंकित तिथि 30–4–03 होने से यह संकेत मिलता है कि प्रतिवादी के वकील की अनुपस्थिति में ये बयान लिये थे जबकि दिनांक 30–4–03 की आदेशिका में इन गवाहों के बयान लिये जाने का उल्लेख नही है, यह दर्शाता है कि विद्वान अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 30–4–03 को वादी के वकील की उपस्थिति में बयान हुए थे। इसी प्रकार इसके बाद की पेशियों पर वकील वादी का उपस्थिति का उल्लेख है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वादी के वकील की उपस्थिति से दिनांक 21–4–03 का आदेश प्रभावहीन हो चुका था और वकील वादी दिनांक 7–4–04 से उनुपस्थित रहा एवं वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनात्र आदेश 9नियम 0 दिनांक 13–4–04 को पेश हुआ तो यह एक ऐसा तथ्य है कि उक्त प्रार्थनापत्र अन्दर मियाद ही पेश हुआ था।

9– इस प्रकार आदेश नियम 9 सीपीसी के प्रार्थनापत्र के मियाद बाहर मानकर खारिज करना भी उक्त प्रकार अंकित आदेशिकाओं की अनदेखी कर दिया गया आदेश है। इस सम्बन्ध में यद्यपि विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में विश्लेषण नही किया है फिर भी आदेश 9 नियम 0 सीपीसी के प्रार्थनापत्र के विषय में उनके आदेश में दिए गये आधार समुचित पाये जाने से अपीलांट द्वारा उठाये गये तथ्य सारहीन हो जाते है। चूँकि जब वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 9नियम 9सीपीसी पर कोई अलग से निर्णय पारित नही किया गया है तो उसके विरुद्ध अलग से अपील पेश करने का कोई औचित्य नजर नही आता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की ओर से उठाये गये तथ्य आधारहीन है। फलस्वरुप हस्तगत द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

10– अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय 6–9–2005 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
सदस्य

(सूरज भान जैमन)
सदस्य

.